प्रपत्र–1 (भाग–क)

कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र

(विद्यार्थी/ अभिभावक द्वारा भरा जायेगा)

1. छात्र/छात्रा का नाम व पता : ....
2. पिता/अभिभावक का नाम : ....
3. वर्तमान विद्यालय का नाम व पता : .... कक्षा : ....
4. निवास स्थान का पता : ....
5. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी : .... किमी .... मीटर

A. कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किमी से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किमी से अधिक एवं कक्षा 9 से 12 के लिए 5 किमी से अधिक दूरी होने पर निम्न कारणों में से किसी एक कारण पर ✓ का निशान लगाएं :–

I. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

II. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए –

- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय है परन्तु अपने भाई/बहन/परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। ☐
- विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। ☐

III. ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

IV. शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 एवं 12 की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए–

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

V. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 6 से 8 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किमी से अधिक है। ☐

VI. स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों की कक्षा 9 से 12 की उसी पंचायत समिति की बालिकाओं के लिए –

- बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किमी से अधिक है व बालिका साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं है। ☐

VII. ट्रॉंसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्प :–

- एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से सामूहिक परिवहन सुविधा ली जानी है। ☐
- स्वयं के स्तर पर ट्रॉंसपोर्ट व्यवस्था ली जानी है। ☐

(अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर) **(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)**

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 1 (भाग– ख)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में वर्णित समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है। छात्र / छात्रा .... कक्षा .... में अध्ययनरत है जिसका एस.आर. क्रमांक .... है। अतः उक्त छात्र/ छात्रा के आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है एवं सभी तथ्य सही पाये गये है। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2020–21 के दिशा–निर्देशानुसार अनुशंषा हेतु SMC के समक्ष प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

प्रपत्र–2

भाग–क

एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा / अनुमोदन

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई। बैठक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत आवेदन करने वाले निम्नांकित विद्यार्थियों के आवेदनों की जांच की गई। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2020–21 के दिशा–निर्देश अनुसार निम्नलिखित विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने की अनुशंषा की जाती है:–

विद्यालय का नाम– ....

क्र. स.	एस. आर. संख्या	विद्यार्थी का नाम	पिता / अभिभावक का नाम	कक्षा	बैंक का नाम	आईएफएससी नं0	खाता संख्या

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील

प्रपत्र–2 (भाग – ख)

संस्थाप्रधान द्वारा प्रविष्टी का शाला दर्पण पर अंकन व अनुमोदन / स्वीकृति

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनुशंषा उपरान्त प्राप्त प्रपत्र–2 भाग–क के अनुसार समस्त विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की प्रविष्टि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2020–21 के दिशा–निर्देश अनुसार कर दी गई है। समस्त विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह. संस्थाप्रधान
मय सील एवं दिनांक

प्रपत्र–3

पीईईओ विद्यालय/माध्य. विद्यालय /उच्च माध्य. विद्यालय एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा राशि जारी करने का अनुमोदन/स्वीकृति

(ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन इसी एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा किया जाना है)

SMC/SDMC की बैठक दिनांक .... को हुई। बैठक में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के पात्र विद्यार्थियों को निम्नानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया जाता है:–

क्र. स.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी का नाम	पिता/अभिभावक का नाम	एस.आर. संख्या	कक्षा	अवधि	सुविधा (ट्राँसपोर्ट वाउचर (1) / सामूहिक परिवहन (2))	देय राशि

हस्ताक्षर SMC/SDMC अध्यक्ष
मय सील

हस्ताक्षर SMC/SDMC सचिव
मय सील